

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-9) विभाग

गृह (ग्रुप-6) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
डायरी संख्या 446....
दिनांक 29/3/2020
जयपुर, दिनांक 12.7 FEB 2020

क्रमांक प.20(2)गृह-9/12 पार्ट-I

अधिसूचना

यतः राज्य सरकार की यह राय है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर व उसके समस्त कार्यालय एवं उसके कार्यकलापों से संबंधित समस्त सेवाओं में हड़ताल होने से सेवाओं के प्रदाय एवं अनुरक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और उसके परिणामस्वरूप समुदाय को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।

अतः अब राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएँ अनुरक्षण अधिनियम, 1970 (1970 का अधिनियम संख्या 22) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के उप-खण्ड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार तुरन्त प्रभाव से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर व उसके समस्त कार्यालय एवं उसके कार्यकलापों से संबंधित समस्त सेवाओं को एतद्वारा दिनांक 31.07.2020 तक अत्यावश्यक सेवा घोषित करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(पी.सी. बेरवाल)
विशिष्ट शासन सचिव,

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
3. समस्त महानिरीक्षक पुलिस रेंज, राजस्थान/पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
4. सचिव, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
5. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
6. समस्त जिला कलक्टर्स एवं जिला मजिस्ट्रेट्स, राजस्थान।
7. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त, राजस्थान।
8. निजी सचिव, सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान, जयपुर।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, जयपुर।
10. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान जयपुर को उक्त अधिसूचना राजपत्र में आनलाईन प्रकाशित किये जाने हेतु। (साफ्ट कापी)
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. शासन संयुक्त सचिव, शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग।
13. ☒ विशिष्ट उप शासन सचिव गृह ग्रुप-6 विभाग को उक्त अधिसूचना विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
14. रक्षित पत्रावली।

विशिष्ट शासन सचिव
गृह विभाग